न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 36/2013

प्रविष्टि दिनांक 12.06.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा

–प्रार्थी

बनाम

बजरंगा पुत्र बालू जाति माली निवासी अम्बापुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

अभिशंषा

दिनांक 30.01.2020

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 419 रकबा 49 बीघा वाके ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 मे गै0मु0 नाला भूमि दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 01.02.1983 को रकबा 2 बीघा रामकरण पुत्र कालू जाति कहार निवासी टोरडी के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 06.01.1984 को जरिए नामान्तरकरण सं0 2214 से गैर खातेदारी दी गई एंव दिनांक 27.05.1993 से नामान्तरकरण सं0 3596 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। विवादित उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2 बीघा नामान्तकरण संख्या 3696 से बजरंगा पुत्र बालू जाति माली निवासी अम्बापुरा के नाम जरिये विक्रय पत्र खातेदार के नाम स्वीकार हुआ है। नकल जमाबंदी सम्वंत 2066–2069 वाके ग्राम अम्बापुरा मे खसरा नम्बर 419/1/13 रकबा 2 बीघा भूमि बजरंगा पुत्र बालू जाति माली निवासी अम्बापुरा तहसील मालपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। तहसीलदार मालपुरा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन एंव भरे गये नामान्तरकरण सं0 2214,3596 व 3696 को निरस्त करने हैतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

(हस्ताक्षर)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

टोंक

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई।बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नदी भूमि दर्ज है एवं भूमि का आकार नदी दर्ज थी, उक्त नदीं भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये नामान्तकरण संख्या 2214 गेर खातेदारी एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 3596 तथा 3696 निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में साबिक खसरा नम्बर 419 गै0मु0 नाला भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 01.02.1983 को 2 बीघा भूमि रामकरण पुत्र कालू जाति कहार निवासी टोरडी के नाम आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में रामकरण को दिनांक 06.01.1984 को जरिए नामान्तकरण सं0 2214 गेर खातेदारी एंव दिनांक 27.05.1993 को नामान्तरकरण सं0 3596 के द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये गये। विवादित उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2 बीघा नामान्तकरण संख्या 3696 से रामकरण ने उक्त भूमि बजरंगा पुत्र बालू जाति माली निवासी अम्बापुरा तहसील मालपुरा के नाम जरिये विक्रय पत्र खातेदार के नाम स्वीकार हुआ है। चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नाला दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी रामकरण ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी एंव बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 01.02.1983 को विवादित भूमि रामकरण के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि रामकरण पुत्र कालू जाति कहार निवासी टोरडी तहसील मालपुरा को प्रकरण संख्या 1357/1983 दिनांक 01.02.1983 द्वारा खसरा नम्बर 419 मे से रकबा 2 बीघा भूमि वाके ग्राम टोरडी मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री रामकरण के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 2214 दिनांक 06.01.1984 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 3596 दिनांक 27.05.1993 तथा अप्रार्थी के पक्ष मे स्वीकृत किये

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

गये नामान्तकरण संख्या 3696 को निरस्त कर आराजी खसरा नम्बर 419 मे से रकबा 2 बीघा वाके ग्राम टोरडी को पुनः गै0मु0 नाला भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.03 16:06:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: